



प्रेस विज्ञप्ति
25/09/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 37 के तहत 23.09.2026 को मेसर्स मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) तथा उससे संबद्ध संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। इन परिसरों में संजय पासारी, राजीव पासारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला के आवासीय परिसर तथा संबद्ध संस्थाओं के आधिकारिक परिसर शामिल हैं।

तलाशी के दौरान संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेन-देन सामने आए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है, जिनमें निर्यात से प्राप्त होने वाली बड़ी राशि भी शामिल है, जो एमबीईसीएल द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी (सीआईआरपी-पूर्व लेन-देन) और वर्तमान तिथि तक बकाया के रूप में है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सामग्री सामने आई है, जो भारत से बाहर स्थित कुछ परिसंपत्तियों पर संजय पासारी के कथित लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का संकेत देती है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें घोषित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघनों का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जाँच से यह पता चला है कि एमबीईसीएल की वित्तीय स्थिति को जानबूझकर कमजोर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कंपनी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में ले जाया गया। सीआईआरपी के दौरान लगभग ₹6,828 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग ₹5,015 करोड़ के दावों को स्वीकार किया गया। ये दावे 16 लेनदारों से संबंधित हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले संघ (कंसोर्टियम) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और अन्य असुरक्षित एवं परिचालन लेनदार शामिल हैं। इन देनदारियों के विरुद्ध केवल ₹441 करोड़ की समाधान योजना को मंजूरी प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत किए गए दावों की तुलना में लगभग 94% की प्रभावी कमी हुई। उल्लेखनीय रूप से, समाधान योजना में केवल ₹155 करोड़ की नकद राशि डाले जाने का प्रावधान था, जिसमें से केवल ₹123 करोड़ का वास्तव में भुगतान किया गया, जबकि शेष राशि का भुगतान स्वयं एमबीईसीएल के आंतरिक उपार्जन से किया गया।

जाँच से पता चला था कि सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से एमबीईसीएल का अधिग्रहण इस प्रकार संरचित किया गया था कि संजय पासारी के नेतृत्व वाले विश्व समूह की वास्तविक वित्तीय संलिप्तता और नियंत्रण को छिपाया जा सके। बीटीएल ईपीसी को समाधान आवेदक के रूप में उपयोग किया गया, जिसने अधिग्रहण के लिए एक विशेष

प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) अर्थात् मंडल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया, जबकि विश्व ग्रुप से संबद्ध धनराशि को अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए अनेक संस्थाओं के माध्यम से प्रवाहित किया गया, जिससे वित्तपोषण के वास्तविक स्रोत और समाधान प्रक्रिया के अंतिम लाभार्थी को अस्पष्ट किया जा सके।

आगे की जाँच से पता चला कि अधिग्रहण के वित्तपोषण हेतु लगभग ₹105 करोड़ की राशि संजय पासारी से संबद्ध संस्थाओं से प्राप्त हुई थी और इसे एनबीएफसी सहित अनेक मध्यवर्ती कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित किया गया था। एजेंसी इस बात की जाँच कर रही है कि क्या इस व्यवस्था के माध्यम से धनराशि के स्रोत और अधिग्रहण के पश्चात् एमबीईसीएल पर लाभकारी नियंत्रण को छिपाया गया था तथा क्या इससे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को दरकिनार किया गया था।